आरोली बइजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः—60 / 2011 दायर तारीख 12.07.2011

10 / 2018 05.04.2018

शोभा कंवर पत्नि दशरथसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

..............वादीया

बनाम

पन्ना पिता तुलछा जाति रेगर उम्र बालिग निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

...........प्रतिवादी

उपस्थितः—श्री दिनेशचन्द्र तम्बोली अधि0वादी

श्री जगदीशचन्द्र धाकड अधि0 प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टि0एक्ट0

:—निर्णयः— दिनांक 19.06.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीया ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचानपुरा प0ह0 जाडोली तह0 बिजौलियां की शरहद में स्थित आ0नं0 854 / 267 रकबा 2 बीघा कृषि भूमि की वादीया खातेदार होकर वादीया के कब्जे काश्त में बरसों से चली आ रही है। वादीया के कब्जे काश्त की भूमि रकबा 2 बीघा भूमि को हकाई हेतु दिनांक 08. 06.2011 को गयी तो प्रतिवादी ने वादीया के साथ लडाई झगडा किया एंव प्रतिवादी उक्त भूमि को जबरन हाकने लगा तो वादीया ने मना किया तो उसके साथ लडाई झगडा किया एंव वादीया को जबरन बेदखल करने की धमकी दी जबकि उक्त विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का किसी प्रकार का हक अधिकार नही होते हुये भी आये दिन वादीया के साथ दखलन्दाजी कर रहा है, रोक टोक कर रहा है एंव वादीया को उकत भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमदा है। एंव वादीया को काश्त नही करने दे रहा है। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। वादीया ने अनुतोष चाहा कि ग्राम पंचानपुरा प0ह0 जाडोली तह0 बिजौलियां की शरहद में स्थित आ0नं0 854 / 267 रकबा 2 बीघा की खातेदारी आराजीयात में प्रतिवादी किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें, रोक टोक नही करें, वादीया को जबरन बेदखल नही करे, ना अन्य से करावे इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीया विरुद्व प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण की और से भी श्री जगदीश चन्द्र धाकड अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अधिकार पत्र मय जवाबदावा प्रस्तुत किया।

जवाबदावे में प्रतिवादी ने अंकित किया कि ग्राम पंचानपुरा में वादग्रस्त जमीन का स्थित होना स्वीकार है। किन्तु यह कहना गलत है कि वादीया का वादग्रस्त जमीन पर वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा हो। वादीया ने वादग्रस्त जमीन मार्च 2011 में श्रीदान पिता कल्याणदान चारण से कागजी रुप से क्रय की है। भौतिक रुप से मौके पर कब्जा प्राप्त नही किया है। क्योकि उक्त वादग्रस्त आराजी पर आवंटन से पूर्व ही प्रतिवादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीया एंव पूर्व

गई हो बल्कि दिनांक 08.06.2011 को वादीया ने उक्त जमीन की पत्थरगढी करवायी जिसकी नपती के लिये प0ह0 एंव भू अभिलेख निरीक्षक मौके पर आये उन्होने मौके पर मुझ प्रतिवादी का कब्जा काश्त पाया जिसका अंकन उन्होने पर्चा मौका तैयार किया उनमें अंकित किया है। इस कारण वादीया कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। शेष कथन बढा चडा कर लिखा जो अस्वीकार है। वादग्रस्त जमीन पर प्रतिवादी का आवंटन से पूर्व का कब्जा है जिसे न तो बेदखल किया गया है न ही आवंटी को कब्जा सिपूर्द किया गया है। आवंटी ने खातेदारी मिलते ही वादग्रस्त भूमि वादीया को विक्रय कर दी। किन्तु मौके पर वादीया को कब्जा सिपूर्द नही किया गया। वादीया ने तथ्य छिपाकर कब्जे के अभाव में निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया जो चलने योग्य नही होकर काबिल खारिज योग्य है।

वादी ने दस्तावेज सूची मय दस्तावेज प्रतिलिपि जमाबंदी पंचानपुरा सम्वत् 2064 से 2067 व शपथ पत्र, निर्णय प्रतिलिपि प्रमाण पत्र पंचायत की प्रति प्रस्तुत की है।

प्रतिवादी ने दस्तावेजात में पर्चा मौका पत्थरगढी की फोटोप्रति, आदेश दिनांक 14.05.2012 प्र0सं0 14/2011 न्यायालय जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा की फोटोप्रति, आर्डर शीट एंव अपील मेमो प्र0स0 1507/2014 लैण्ड रिवेन्यू एक्ट न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की प्रमाणित प्रति आदि।

वादपत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया कि ग्राम पंचानपुरा में वादीया के खाते व कब्जे काश्त में आ0नं0 854/267 रकबा 2 बीघा भूमि स्थित है। .....जिम्मे वादीया
2. आया कि वादीया का कब्जा काश्त नही है प्रतिवादी का आवंटन से पूर्व कब्जा है वादपत्र चलने योग्य नही है। .....जिम्मे प्रतिवादी

इसके अलावा साक्ष्य वादी/प्रतिवादी ने कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिससे शहादत वादी/प्रतिवादी बंद की गई।

साक्ष्य में पर्याप्त अवसर देने के बाद भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये व प्रतिवादी ने भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्तागण वादी की सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये वादपत्र को डिक्री किये जाने की मांग की।

उप खण्ड अधिकारी
विजौलियां(भीलवाड़ा)

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये वादपत्र को डिक्री किये जाने की मांग की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

प्रकरण में मा0 न्यायालय जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा द्वारा प्र0सं0 14/2011 में दिनांक 14.05.2012 को ग्राम पंचानपुरा का ख0नं0 854/267 रकबा 2 बीघा का भू आवंटन अपास्त कर भूमि राजस्व अभिलेख में सिवायचक बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरुद्व मा0 न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा में अपील सं0 एंव आ0सं0 190/2012 दर्ज हुये। इस अपील में मा0 न्यायालय ने दिनांक 21.01.2014

को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय (मा0 न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा) के आदेश दिनांक 14.05.2012 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्व मा0 न्यायालय राजस्व ण्डल राजस्थान अजमेर में अपील एल0आर0एक्ट0 सं. 1507 सन् 2014 जिला भीलवाडा दर्ज हुई। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार मा0 न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के आदेश दिनांक 31.01.2014 पर यथा स्थित के आदेश दे दिये। अतः वर्तमान में प्रकरण मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है तथा मा0 न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा का आदेश दिनांक 14.05.2012 पत्रावली है जिसमें प्रश्नगत भूमि सिवायचक बिलानाम किया गया है। अतः प्रश्नगत भूमि के संबंध में वादी के पक्ष में वाद को डिक्री नही किया जा सकता है। अतः वादपत्र वादीया खारीज किये जाने योग्य है।

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 188 रा0टि0एक्ट खारीज किया जाता है। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 19.06.2018 को मुकाम आरोली पर लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

19/06/18

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
(केम्प आरोली)